न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या:—42 / 2010

दायर दिनांक:—17.06.2010

जीसीएमएस नं0 2010 / 00120

1. कल्लाराम
2. नाहरसिंह
3. बच्चूसिंह

} पिसरान—भगवानसिंह, जाति—धाकड, निवासी—वार्ड नं0 26 भैरोंजी के मंदिर व सपाट के पास, कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला—करौली (राज0)

——————सायलान

बनाम

1. श्रीमती सुनीता पत्नि श्री नेमीसिंह उम्र 40 साल जाति धाकड निवासी नंगला इटामडा तहसील बैर जिला भरतपुर राज0
2. हेमलता पुत्री नेमीसिंह आयु 18 साल पत्नि मंगल जाति धाकड निवासी नंगला श्री नगर के पास पोस्ट फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

——————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल

2. श्री संतोष मुदगल अधिवक्ता गैरसायल न0 1

3. श्री बनवारी गोस्वामी अधिवक्ता गैरसायल न0 2

निर्णय

दिनांक :—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 6722 रकवा 10 ऐयर, 6723 रकवा 1.01 है0, 6724 रकवा 10 ऐयर गैरमुमकिन कुआ, 6725 रकवा 48 ऐयरन, 8754 / 9866 रकवा 4 ऐयर, 8755 रकवा 13 ऐयर, 8760 रकवा 1 ऐयर गैर मुमकिन कुआ, 8762 रकवा 9 ऐयर, 8763 रकवा 18 ऐयर, 8764 रकवा 8 एकयर, 8765 रकवा 47 एयर कुल किता 11 कुल रकवा 2.69 है0 कस्बा हिण्डौन में स्थित है। जो वादीगण सायलान व दावे प्रति वादी नं0 3 की ममलूका मकबूजा एवं स्वामित्व की आराजीयात है जो [illegible] के पिता मृतक श्री भगवानसिंह से विरासत के आधार पर प्राप्त हुई [illegible] नं0 3 के भई मृतक बाबूलाल जिनका स्वर्गवास सन् 1995 में हो चुका है। उनकी शादी मु0 [illegible] नामक औरत से हुई मगर उसके द्वारा तलाक ले लेने पर वह उसके एक मात्र पुत्र जंगलिया को छोडकर अन्यंत्र नाते चली गयी। जंगलिया का पालन पोषण सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा किया गया दुर्भाग्यवश उसका भी स्वर्गवास हो गया। वह अविवाहित था मु0 सावो के विवाह विच्छेद की डिक्री लेने के बाद मृतक बाबूलाल ने मु0 सुनीता से नाता कर लिया था वह स्वच्छन्द विचारधारा की औरत थी। इसलिये उनका भी सुनीता के साथ तालमेल नहीं बेठ पाया और सुनीता उनके जीतेजी भाग गई। और नेमीचन्द नामक व्यक्ति जाति धाकड निवासी नंगला इटागडा तहसील वैर जिला भरतपुर के साथ बतौर पत्नि रहने लगी। उसके बिन्द से सुनीता के 3 पुत्रियॉं पेदा हुई। जिनमे सबसे बडी हेमलता रही। और हेमलता की शादी उक्त नेमीचन्द द्वारा ही मंगल नामक व्यक्ति के साथ सम्पन्न की है। इसलिये सुनीता या हेमलता का मृतक बाबूलाल के हिस्से की आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार आज दिन तक नहीं रहा है। ना आज है। और ना ही मु0 सुनीता व हेमलता मृतक बाबूलाल के तरके पर काबिज हैं।

मृतक बाबूलाल भारतीय पोस्ट एवं टेलीफोन विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। गैरसायल सं0 1 का मृतक बाबूलाल के सर्विस रिकोर्ड में बतौर पत्नि नाम अंकित होने के कारण उसने बाबूलाल की मृत्यु के बाद मृतक के सर्विस परिलाभों को प्राप्त करने बाबत् उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब की अदालत में दायर कर दिया। उसके सालान के पिता द्वारा विराध करने पर गैरसायल द्वारा एक समझोता पत्र स्वयं व सायलान के मध्य इस आशय का तकमीत तस्दीक करवा दिया कि उसका व उसके किसी वाली वारिसान का आराजीयात विवादग्रस्त से कोई संबंध किसी प्रकार नहीं रहेगा। उक्त समझोता पत्र को लिखवट स्टाम्प कीमत 20/– रू0 पर दिनांक 15.02.1996 में तकमील तस्दीक करवा कर स्वयं के हस्ताक्षर व गवाही गवाहान करवाकर हवाले सायलान कर दिया है। जिसकके आधार पर गैरसायल सं0 1 व उसकी पुत्री का आराजीयात विवादग्रस्त से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, और उक्त इकरारनामें से गैरसायल नं0 1 व 2 पाबंद व बाध्य हैं। गैरसायल सं0 1 बहुत ही चालाक किस्म की औरत है। उसके कई असामाजिक तत्वों से व भूमाफिया गिरोह के लोगों से सम्पर्क हैं। दुर्भाग्यवश [illegible] की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसलिये उसने भी गैरसायल सं0 1 को एक प्रकार से कमाई का साधन बना रखा है। इसी के चलते उसने सरकारी कर्मचारियों से [illegible] कर सायलान के पिता की सन 2009 में मृत्यु हो जाने पर उसने फर्जी [illegible] पर सायलान के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका हिण्डौन से हांसिल कर दिया और नामान्तकरण सं0 3262 विरासत के आधार पर स्वयं को मृतक बाबूलाल की बेवा व गैरसायल सं0 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested

बाबूलाल की पुत्री दर्शाते हुए 1/5 हिस्से का तकमील तस्दीक करवा लिया। जो इबनीसियों बोईड एवं प्रभावहीन सायलान है और अब उक्त फर्जी तौर पर करवायी गयी। खातेदारी के आधार पर गैरसायल सं0 1 व 2 सायलान के प्रतिवादी नं0 3 की बेशकीमती आराजीयात को डण्डे वाले व भूमाफिया लोगों को बेचान करने पर आमादा है। गैरसायल नं0 1 व 2 का आराजी विवादग्रस्त से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। जो इस तथ्य से साफ जाहिर है कि दिनांक 23.09.09 को नगर पालिका भुसावर द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र सं0 20152 जिसकार जि0 नं0 256 दिनांक 03.11. 2001 अंकित है, और वह टीटम लडकी का है। जिसकी जन्म तिथि 17.10.2001 है माता का नाम सुनीता व पिता का नाम नेमीसिंह अंकित है। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त सुनीता सन् 2001 से पूर्व नेगमीसिंह की पत्नि रही है। जिससे टीटम का जन्म हुआ है। और उसने इस तथ्य को छिपाकर स्वयं को बाबूलाल की बेवा दर्शाकर इन्द्राज करवाया है। जो शून्य प्रभावी एवं प्रभावहीन सायलान है।

दिनांक 07.06.10 को सायलान की आराजीयात पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग घूम रहे थे। जिनसे सायल सं0 1 द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने सायल सं0 1 से कहा कि सुनीता हेमलता की जमीन कोन सी है। उसे हम खरीद रहे हैं। इस पर उन्हे सायल सं0 1 द्वारा सम्पूर्ण सत्यता से अवगत करा दिया है। जिस पर वे यह कहकर चले गये कि आज की तारीख में सुनीता व हेमलता खातेदार हैं। वे ही मालिक हैं इसलिए उन्हें राजीबाजी जमीन पर कब्जा दे दो, अन्यथा हम इसे खरीद कर डण्डे के बल पर कब्जा ले लेगें। सायलान के सुनीता के बारे में पता किया, उससे मिले तो उसने सायलान से कहा कि मैने काफी पैसा खर्च करके जमीनों में अपना हिस्सा अंकित करवाया है। मुझे हिण्डौन में ना ही तो कभी रही और ना ही आगे रहना है इसलिये में उन्हे बेचकर रहूंगी। इस प्रकार गैरसायलान नं0 1 व 2 अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो यई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये सायलान के हूकों की रक्षार्थ यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गयी तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी नहीं होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested

अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 6722, 6723, 6724, 6725, 8754/9866, 8755, 8760, 8762, 8763, 8764, 8765 किता 11 रकबा 2.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन के कब्जेकाश्त सायलान मे कोई मजाहमत मदालखत नहीं करें। रहन वय नहीं करें। सायलान को बेदखल नही करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। जिससे कहूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मोके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 की ओर से संतोष कुमार मुदगल एवं अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाव पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम झूंठा दावा पेश किया जाना स्वीकार है, जिससे उसे सफलता के कोई न्यास नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 में आराजीयात का स्थित कस्बा हिण्डौन में होना स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 सायल स0 3 के भाई बाबूलाल का स्वर्गवास होना स्वीकार है शेष बात गलत है, अस्वीकार है गैरसायल स0 1 बाबूलाल की धर्मपत्नि है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 में मृतक बाबूलाल पोस्ट ऑफिस टेलीफोन विभाग में सरकारी कर्मचारी होना स्वीकार है। तथा गैरसायल स0 1 का नाम मृतक बाबूलाल के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है। गैरसायल स0 1 व उसकी पुत्री का विवादित आराजीयत में मृतक बाबूलाल का जो हिस्सा है, उस पर पूरा हक एवम अधिकार हासिल है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जो प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है, जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। सायल स0 1 के भूमापिथाओं एवम असामाजिक तत्वों के लोगों से सम्पर्क नहीं है। बाबूलाल की मृत्यु के उपरांत गैरसायल स0 1 व 2 का विरासत आधार पर नामांतकरण तस्दीक होना स्वीकार है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 गलत है अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थना का मद न0 7 गलत है अस्वीकार है।

8. प्रार्थना का मद न0 8गलत है अस्वीकार है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल न0 02 की ओर से श्री बनवारी गोस्वामी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जबाब हेतु गैरसायल न0 2 एवं उनके अधिवक्ताओं को कई अवसर दिये गये परन्तु उनके द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 19.07.2024 से गैरसायल न0 2 का जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 खाता संख्या 1003 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन, जन्म प्रमाण पत्र टीटम पुत्री नेमीसिंह पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ, सायलान के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 खाता संख्या 1003 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी/गैरसायल विधिक पत्नि है एवं पत्नि का जमीन पर अधिकार होता है। और संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष [illegible] नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति कारित [illegible] में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 6722, 6723, 6724, 6725, 8754/9866, 8755, 8760, 8762, 8763, 8764, 8765 वाके करवा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में दिनांक 17.06.2010 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
22/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:52 IST
Reason: SelfAttested